



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bihar.gov.in, Email-bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 15/03/2023

अधिसूचना

संख्या- नि०प्रा०/नि० 1-13/2022 खण्ड 540..... बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 2237 दिनांक 08.12.2022 द्वारा अन्य समितियों के साथ रोहतास जिला के राजपुर प्रखंड अंतर्गत राजपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 54 दिनांक 06.01.2023 द्वारा स्थगित किया गया। निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन के पूर्व नामांकन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। चूंकि प्राधिकार के पत्रांक 503 दिनांक 10.03.2023 के आलोक में मतदाता सूची की प्रविष्टि में बदलाव किया गया है। अतः राजपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या- 2237 दिनांक 08.12.2022 के क्रम में नामांकन के स्तर से निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	नामांकन की तिथि एवं समय	24.03.2023 (शुक्रवार) एवं 25.03.2023 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(ii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	27.03.2023 (सोमवार) एवं 28.03.2023 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	अभ्यर्थिता वापसी	31.03.2023 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	मतदान, अगर आवश्यक हो	08.04.2023 (शनिवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(v)	मतगणना	08.04.2023 (शनिवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vi)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	10.04.2023 (सोमवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में राजपुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 20.03.2023 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सनिश्चित करेंगे।

3. पूर्व के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिन अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दायर किया गया है, उन्हें भी पुनः नामांकन पत्र दायर करना होगा, किंतु उन्हें नामांकन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने नामांकन पत्र के साथ पूर्व में जमा किये नामांकन शुल्क की रसीद की प्रति संलग्न करेंगे। नये अभ्यर्थी नामांकन पत्र दायर कर सकते हैं।

4. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फ़ैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

5. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाईट पर <http://bsea.bihar.gov.in> प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे।

6. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक **10.04.2023** तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ **122-129** पर देखा जा सकता है।

7. अधिसूचना संख्या 2237 दिनांक 08.12.2022 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

(पुरुषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 540

पटना/ दिनांक 15/03/2023

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 540

पटना/ दिनांक 15/03/2023

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), रोहतास/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), रोहतास/ पुलिस अधीक्षक, रोहतास/ अपर समाहर्ता, रोहतास/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), राजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 540

पटना/ दिनांक 15/03/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 540

पटना/ दिनांक 15/03/2023

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।